कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पत्रांक: ले.ह./03/नि.वि.-1/वर्ग-2/ए.जी.टी.-2025/516/खंड-1/1381 दिनांक: 23-02-2026

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या AE-II/03/WM-1/Gr.II/AGT-2025/516/Vol.I/1302 दिनांक 05-07-2025 द्वारा श्री राम मिलन यादव, वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी, व्यक्तिगत संख्या 952 का स्थानांतरण कार्यालय अधिशाषी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमरोहा में किया गया था |

उक्त आदेश के विरुद्ध श्री यादव द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहबाद में OA संख्या: 711/2025 योजित की गयी थी, जिसे माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहबाद के आदेश दिनांक 28-10-2025 के द्वारा ख़ारिज कर दिया गया था |

माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहबाद के उक्त आदेश के विरुद्ध श्री यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायलय, इलाहबाद में रिट याचिका संख्या 16658/2025 दायर कि गयी जिस पर माननीय उच्च न्यायलय, इलाहबाद द्वारा श्री यादव के स्थानांतरण आदेश दिनांक 05-07-2025 को अपने आदेश दिनांक 12-11-2025 द्वारा रद्द करते हुए इस कार्यालय को श्री यादव के विरुद्ध सभी सामग्री/प्रपत्र को उपलब्ध कराते हुए उनकी टिप्पणी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 22-01-2025 के अनुसार निर्णय लेने कि स्वायत्ता प्रदान की गयी |

माननीय उच्च न्यायलय, इलाहबाद के उक्त आदेश के अनुपालन में श्री यादव को इस कार्यालय द्वारा ज्ञापन दिनांक 05-12-2025 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया | श्री यादव द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 29-12-2025 का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक परीक्षण किया गया तथा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोष जनक नहीं पाया गया | अतः श्री यादव का प्रकरण प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने पर विचार हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के परिपत्र दिनांक 22-01-2025 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित 3 सदस्यीय स्थानांतरण एवं पदस्थापना समिति को प्रस्तुत किया गया|

समिति द्वारा श्री यादव के प्रकरण पर विस्तृत परीक्षण करने के उपरांत यह संस्तुति की गयी कि श्री राम मिलन यादव, वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय के परिपत्र दिनांक 22-01-2025 के प्रस्तर 4(A)(h) में दिए गए प्रावधानों एवं समय-समय पर स्थानांतरण नीति के सम्बन्ध में निर्गत अन्य दिशानिर्देशों के अधीन प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया जाये |

अतः श्री राम मिलन यादव, वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी, व्यक्तिगत संख्या 952 का स्थानांतरण स्थानांतरण एवं पदस्थापना समिति की अनुशंसानुसार प्रशानिक आधार पर कार्यालय अधिशाषी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर से कार्यालय अधिशाषी अभियंता, एस.एन.के., बांसी, सिद्धार्थनगर (VHD) किया जाता है |

23/2/26

वरिष्ठ उप महालेखाकार/निर्माण

पत्रांक: ले.ह./03/नि.वि.-1/वर्ग-2/ए.जी.टी.-2025/516/खंड-1/650-658 दिनांक: 23-02-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अधिशाषी अभियंता, प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर को कार्यालय कि वेबसाइट के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री राम मिलन यादव, वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी को इस कार्यालय को सूचित करते हुए कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।
3. अधिशाषी अभियंता, एस.एन.के., बांसी, सिद्धार्थनगर को कार्यालय कि वेबसाइट के माध्यम से इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री राम मिलन यादव, वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी के कार्यग्रहण करने की सूचना इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करें।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर को कार्यालय कि वेबसाइट के माध्यम से।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर को कार्यालय कि वेबसाइट के माध्यम से।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी/निर्माण समन्वय प्रकोष्ठ, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़0), उ.प्र., प्रयागराज।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/निर्माण विविध-2, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़0), उ.प्र., प्रयागराज।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी/ITCG, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़0), उ.प्र., प्रयागराज को इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय आदेश को कार्यालय कि वेबसाइट कर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. श्री राम मिलन यादव, वरिष्ठ प्रभागीय लेखाधिकारी, व्यक्तिगत संख्या 952 को कार्यालय कि वेबसाइट के माध्यम से।

23/2/26

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि.वि.-1